प्रेस विज्ञप्तिः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–13 सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगण को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 45 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 13.07.2019 को वादिया को अभियुक्तगणों 1–आसिफ पुत्र फैय्याज 2–आरिफ पुत्र फैय्याज 3–जाकिर पुत्र फैय्याज 4–शाकिब पुत्र फैय्याज 5–मेहरूनिसा पत्नी आरिफ समस्त निवासीगण पानी की टंकी के सामने खाताखेडी, थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ मारपीट करते हुए मानसिक रूप से उत्पीडन करना तथा अभियुक्त आसिफ द्वारा अपनी पत्नी को नशे की गोलियां देकर सुला देना तथा अभियुक्त आसिफ द्वारा खुद की नाबालिक पुत्री के साथ बलात्कार करना व किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी देने की सूचना पर मु0अ0स0 490/19 धारा 498ए,323,149,354बी,376,504,506 भादवि व 3/4 पोक्सों एक्ट व 7/8 पोक्सो एक्ट में थाना मण्डी पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 160/19 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–13 स0पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–13 स0पुर द्वारा आज दिनांक 26.02.21 को अभियुक्त 1– आसिफ पुत्र फैय्याज को मु0अ0स0 490/19 धारा 498ए,323,149,354बी,376,504,506 भादवि व 3/4 पोक्सों एक्ट व 7/8 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का संश्रम कारावास व 45 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व शेष अभियुक्तगणों को उक्त धाराओं में दोषमुक्त किया गया।